आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 191/2023 (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

बैंक ऑफ बड़ौदा, प्लॉट नं. 3, विष्णुपुरी, जगतपुरा रोड़, मालवीय नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

1. मैसर्स श्री लखदातार फेब्रिक्स जरिये प्रोपराईटर श्रीमती पूजा शर्मा,
   पता :– प्लॉट नं. 22–ए(नॉर्थ पार्ट प्लॉट नं. 22), गौतम विहार, सिरसी रोड़, ग्राम पांच्यावाला, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. एच–1–43, अपैरल पार्क, महल योजना, जगतपुरा, जयपुर।
2. श्रीमती पूजा शर्मा पत्नी श्री सुनील शर्मा,
3. श्री सुनील शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा,
   पता :– प्लॉट नं. 22–ए(नॉर्थ पार्ट प्लॉट नं. 22), गौतम विहार, सिरसी रोड़, ग्राम पांच्यावाला, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :–श्रीमती विमला चंदिरा, अधिवक्ता, प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश दिनांक 28.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **श्री सुनील शर्मा के स्वामित्व की सम्पति प्लॉट नं. 22–ए(नॉर्थ पार्ट प्लॉट नं. 22), गौतम विहार, सिरसी रोड़, ग्राम पांच्यावाला, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 132.77 वर्गगज** को बन्धक एवं **दृष्टिबंधक स्टॉक एण्ड बुक डेब्ट्स को हाइपोथिकेट** कर दिनांक **18.03.2020** को राशि **90,00,000/–** रूपये, दिनांक **09.06.2021** को राशि **08,89,000/–** रूपये, कुल राशि **98,89,000/–** रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **30.11.2022** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक के मुख्तार अधिवक्ता को तर्क को सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थीगण को **38,00,000/-** रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति स्वरूप के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि **57,18,142.73/-** रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **30.11.2022** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक का बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। अवधि में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के आवेदन पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में **अप्रार्थी श्री सुनील शर्मा के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. 22-पूर्वांश मार्ट प्लॉट नं. 22), गौतम विहार, सिरसी रोड, ग्राम मांच्यावाला, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 122.77 वर्गगज एवं हाइपोथिकेटेड सम्पत्ति इन्वेन्ट्री स्टॉक एण्ड बुक डेब्ट्स** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेजकर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति इन्द्र कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक **28.02.2023** को खुले इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर